



पंचदश बिहार विधान सभा दशम् सत्र ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचनायें बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-29.07.2013 के लिए अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है।

| क्र० सं० | सदस्य का नाम | विषय | विभाग |
|----------|--------------|------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

- श्री मंजीत कुमार सिंह, स०वि०स०
- श्री पन्ना लाल सिंह पटेल, स०वि०स०
- श्री नरेन्द्र कुमार नीरज, स०वि०स०
- श्री प्रमोद कुमार सिंह, स०वि०स०
- श्री राम सेवक सिंह, स०वि०स०
- श्री अशोक कुमार सिंह, स०वि०स०
- श्री संतोष कुमार निराला, स०वि०स०
- श्री अशोक कुमार, स०वि०स०
- श्री श्याम बिहारी प्रसाद, स०वि०स०
- श्री श्याम बहादुर सिंह, स०वि०स०
- श्री गिरिधरी यादव, स०वि०स०

“गंडक नदी में अचानक अत्यधिक पानी बढ़ने के कारण आपदा गोपालगंज जिला के बैकुण्ठपुर प्रखण्ड अनतीत फैजुल्लाहपुर पंचायत के खोम्हारीपुर, सलेमपुर, चिटडहां एवं गम्हारी पंचायत के पकहां, बहरामपुर, शीतलपुर, बांसधाट मसुरिया पंचायत के महारानी, महारानी उग्रसेन, घोघराहां, प्यारेपुर एवं सिध्वलिया प्रखण्ड के दुमरिया पंचायत के ठंडसपुर, रमपुरबां, बंजरिया आदि गांवों में बाढ़ का पानी फैल गया है। बाढ़ के पानी से गांव पूर्णतः दूब गया है तथा पानी से गांव धिरा हुआ है। लगभग 2000 से अधिक की आवादी बाढ़ से प्रभावित है।

अतः उक्त सभी बाढ़ प्रभावित गांवों में पालिथीन शीद्दस, टेन्ट की व्यवस्था, मोटरबोट, नाव, खाद्यान, नगद अनुदान, अतिरिक्त फसल क्षति अनुदान, पशु क्षति अनुदान, जीवन रक्षक दवा, धेयजल, बाढ़ आत्रय स्थलों का निर्माण, एम्बुलेंस की व्यवस्था एवं गंडक नदी के कटाव से वर्ष 2002-03 से 2012-13 तक गोपालगंज जिले के सिध्वलिया, बैकुण्ठपुर एवं बरौली प्रखण्डों के 1000 विस्थापित परिवारों के लिए पुनर्वास एवं भूमि की व्यवस्था करने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट करते हैं।”

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|--|---|
| <p>2. श्री उमाकांत यादव, संविंश० श्री राम लघण राम "रमण", संविंश० डा० फैयाज अहमद, संविंश० श्री दिनेश कुमार सिंह, संविंश० श्री जितेन्द्र कुमार राय, संविंश० श्री ललित कुमार यादव, संविंश० श्री अवधेश कुमार राय, संविंश०</p> | | <p>"मधुबनी जिला की आवादी 45 लाख एवं मतदाता लगभग 26 लाख है। राज्य सरकार द्वारा राज्य में एवं राज्य के बाहर तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहे मेधावी छात्रों को प्रवेशिकोत्तर तकनीकी छात्रवृत्ति के तहत् प्रोत्साहन राशि दी जा रही है, जिसके तहत् इस जिले में 2300 आवेदन पत्र प्राप्त है। वर्ष 2012-13 में विभागीय पदाधिकारियों द्वारा छात्रवृत्ति हेतु 15 करोड़ की मांग की गई, जिसके विरुद्ध मात्र 5 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। इस राशि से महादलित, दलित, अति पिछड़े छात्रों को ही राशि मिल पायी। सारे पिछड़े वर्ग एवं कुछ अति पिछड़े वर्ग के छात्र-छात्राएं इस छात्रवृत्ति से बचत रह गए जिसके कारण गरीब मेधावी छात्रों को तकनीकी शिक्षा छोड़कर वापस आना पड़ रहा है। एक ओर इस जिला में तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने वाले मेधावी छात्रों की संख्या लगातार बढ़ी है तो गरीबी के कारण अधूरी शिक्षा को छोड़ वापस आने वालों की तादाद बढ़ रही है, जिससे जिले के मेधावी छात्र मायूष एवं आक्रोशित हैं। अतएव अपेक्षित शेष राशि उपलब्ध कराकर शेष बचे छात्रों के बीच छात्रवृत्ति वितरण कराने हेतु हम सरकार का ध्यानाकृष्ट करते हैं।"</p> | <p>अनुसूचित जाति / जन-जाति कल्याण एवं पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण</p> |

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-29/13-

12/1

/ विंश०, पटना, दिनांक- २७ जुलाई, 2013 ई०।

प्रति :- बिहार विधान सभा के सदस्यगण / मुख्य मंत्री / मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं गंग्यापाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप सचिव / सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना / संसदीय कार्य विभाग / अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण विभाग / पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग तथा आपदा प्रबंधन विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

२०७८
२०७८-१३

(राजकुमार रजक)

उप सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-29/13-

12/1

/ विंश०, पटना, दिनांक- २७ जुलाई, 2013 ई०।

प्रति :- अवर सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय / अपर आप सचिव, उपाध्यक्षीय कार्यालय / अवर सचिव, सचिवीय कार्यालय / निजी सहायक, संयुक्त सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रभारी सचिव एवं प्रभारी संयुक्त सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित।

२०७८
२०७८-१३

(राजकुमार रजक)

उप सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

२०७८
२०७८-१३